Title: Problems being faced by the employees of undivided Madhya Pradesh regarding their re-appointment in Chhattisgarh.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। इसमें केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कर्मचारियों का विभाजन होना तय था। प्रदेश सरकारों ने नियम तय किए लेकिन उनका पालन न करने के कारण केन्द्र सरकार ने लोहानी कमेटी का गठन किया। लोहानी समिति के निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश विधान सभा के कर्मचारी और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसका निर्णय केन्द्र सरकार करेगी। विधवाओं को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। किसी की पत्नी को मध्य प्रदेश में और किसी के पति को छत्तीसगढ़ में भेज दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट और विधान सभा सचिवालय के लोगों के बारे में फैसला केन्द्र सरकार को करना है। अब छत्तीसगढ़ सरकार का यह बयान आ गया है कि नर्मदा घाटी के कर्मचारी हमारे यहां नहीं रहेंगे क्योंकि नर्मदा घाटी हमारे यहां नहीं है। ऐसे बयानों के बाद पति-पत्नी विभाजित हो गए और विधवाओं को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार के मापदंडों का मध्यप्रदेश सरकार ने पालन नहीं किया है, इसलिए हम लोहानी समिति की रिपोर्ट के निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है। 7 महीने के बाद भी उन कर्मचारियों का हित सुरक्षित नहीं है। इस मामले में केन्द्र सरकार शीघ्र दखल दे।